

12

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/पेन-01-16/2017-

/स्वा0, पटना, दिनांक / /2019

डा0 दीन बंधु शर्मा, पूर्व उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवा निवृत्त को श्रम संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक 449 दिनांक 20.02.19 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 05.11.2016 से 15.12.2016 तक के अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को "नो वर्क नो पे" के सिद्धांत पर असाधारण अवकाश (पेंशन प्रदायी नहीं) के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें विभागीय कार्यालय आदेश सं0-888(5) दिनांक 11.07.2018 के द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(जगदीश कुमार)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :

679(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक :

4/6/19

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग(लेखा शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : डा0 दीन बंधु शर्मा, पूर्व उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवा निवृत्त। पत्राचार पता-मोहल्ला-102 ओम अपार्टमेंट, मोहनपुर, पुनाईचक, पो0+थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना-23 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा-2, 5, 12 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी  
4/6/19